सत्यमेव जयते

संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A4-87 /2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक :27 फरवरी, 2019

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–1547, दिनांक 02–07–2018 एवं पत्र संख्या–1577, दिनांक 04–07–2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा **रूड़की कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 09 माईल स्टोन, रूड़की–देहरादून हाईवे, ग्राम–किशनपुर, रूड़की** को बी0फार्मेसी एवं एम0फार्मा0 पाठ्यक्रमों में सत्र 2017–18 की अस्थाई सम्बद्धता / विस्तारण का प्रस्ताव कुलपति जी की संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– मा0 कुलाधिपति जी द्वारा प्रश्नगत सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्ड़ल व कुलपति जी की संस्तुति एवं छात्रहित के दृष्टिगत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित) के अध्याय–5 की धारा–24(2) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को **बी0फार्मेसी (60 सीट) एवं एम0फार्मा0–फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी व क्वालिटी एसुरेन्स (18–18 सीट) पाठ्यक्रमों में सत्र 2017–18 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण** प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति / अनुमोदन इस उपबन्ध के साथ दी गई है कि सम्बद्धता सम्बन्धी अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार लेते हुए तद्नुसार सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश विश्वविद्यालय स्तर से निर्गत करने की कार्यवाही की जाय।

3– कुलाधिपति / शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों / आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

4– तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या–4507(1) / जी0एस0 / शिक्षा / A4-87 / 2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, 07वां तल चन्द्रलोक बिल्डिग, जनपथ, नई दिल्ली।
4. प्राचार्य / प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।